कम्प्यूटर परिपत्र सं0 1718036 दिंनाक 11.09.2017

ई- मेल से प्रेषित

पत्र संख्या-आई0टी0 - /(2017-2018) // इलेक्ट्रानिक्स गुड्स// 746 / / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

दिनॉक // लखनऊ // सितम्बर, 11 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश ।

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा 30 श्रेणी के उत्पादों हेतु भारतीय सुरक्षा मानक आदेशित करते हुए '' इलेक्ट्रानिक्स एवं आई टी गुड्स आर्डर - 2012'' अधिसूचित किया गया है (छाया प्रति संलग्न)।

2- उपरोक्त अधिसूचित आदेश में भारतीय मानको के अनुरुप उ0प्र0 में इलेक्ट्रानिक्स एवं आई0टी0 उत्पादों के विर्निमाण, भण्डारण, बिक्री तथा वितरण आदि के सम्बन्ध में राज्य के अन्तर्गत स्थापित बाजारों/ मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों / एसेम्बलिंग सेन्टर्स पर सर्विलांस / नजर निम्नांकित दृष्टियों से रखने तथा अधिसूचित आदेश का अनुपालन न पाये जाने की स्थिति में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार का सहयोग चाहा गया है:-

(क) यदि बाजार में अपंजीकृत अधिसूचित उत्पादों की बिक्री हो रही हों

(ख) यदि बाजार में बिक रहे अधिसूचित उत्पाद पंजीकृत हैं किन्तु पंजीयन क्रमॉक फर्जी है/ पंजीयन क्रमॉक का दुरुपयोग हो रहा है / उनका गलत अर्थ लगाया जा रहा है।

'' इलेक्ट्रानिक्स एवं आई0 टी0 गुड्स आर्डर - 2012'' का अनुपालन और केवल निर्धारित मानकों वाले उत्पादों का क्रय-विक्रय सुनिश्चित कराने की दृष्टि से अधिसूचित उत्पादों की बाजारों में बिक्री पर निगरानी रखा ज़ाना आवश्यक है । उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि अपने अधिक्षेत्र से सम्बंधित इलेक्ट्रानिक्स एवं आई0 टी0 गुड्स में संव्यवहार/निर्माण करने वाले व्यापारियों के साथ बैठक कर उनको अधिसूचित आदेश की पूर्ण जानकारी प्रदान करें तथा उपर्युक्त अधिसूचित आदेश का अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें । विभागीय अधिकारियों द्वारा फील्ड स्तर पर गैर पंजीकृत अधिसूचित इलेक्ट्रानिक्स एवं आई0 टी0 उत्पादों की बिक्री होने या पंजीयन संख्या फर्जी होने की दशा में अधिसूचित आदेश के तथ्यों को विक्रेता के संज्ञान में लाते हुए तत्काल पंजीयन की कार्यवाही करें ।

उपरोक्त आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

<u>संलग्नकः-उपरोक्तानुसार</u> ।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ